

भारत के शहरी परदृश्य में सुधार

यह संपादकीय 25/11/2024 को 'द हट्टि' में प्रकाशित "India's urban infrastructure financing, needs and reality" पर आधारित है। इस लेख में भारत की शहरी आबादी को समायोजित करने की बढ़ती चुनौती को उजागर किया गया है, जिसके वर्ष 2050 तक 800 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है, जिसके लिये बुनियादी अवसंरचना में ₹70 लाख करोड़ निवेश की आवश्यकता है। यह सीमिति सरकारी खर्च, स्थिर नगरपालिका वतित और घटती सार्वजनिक-नजिी भागीदारी की बाधाओं को रेखांकित करने के साथ ही सतत शहरी विकास के लिये संरचनात्मक सुधारों तथा सहयोगी शासन के आग्रह पर आधारित है।

प्रलिमिस के लिये:

[74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, शहरी स्थानीय निकाय, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, ठोस अपशषिट प्रबंधन नियम, 2016, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण \(NDMA\), रयिल एस्टेट \(वनियमन और विकास\) अधिनियम \(RERA\), 2016, राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, शहरी अपशषिट प्रबंधन, नगरीय ऊष्मा द्वीप, स्वच्छ भारत मशिन-शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी, आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम, दीन दयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मशिन](#)

मेन्स के लिये:

भारत के शहरी परदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दे, भारत के शहरी परदृश्य को बढ़ाने के लिये अपनाए जा सकने वाले उपाय।

भारत की शहरी जनसंख्या तीन दशकों में दोगुनी होकर 800 मिलियन हो जाएगी, जिसके लिये वर्ष 2036 तक **बुनियादी अवसंरचना में 70 लाख करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता** होगी। हालाँकि सीमिति सरकारी खर्च, स्थिर नगरपालिका वतित और घटती सार्वजनिक-नजिी भागीदारी प्रगत में बाधा उत्पन्न करती है। इस संकट से निपटने के लिये **संरचनात्मक सुधार, सुदृढ़ परियोजना पाइपलाइन, डिजिटल बुनियादी अवसंरचना का अंगीकरण और सहयोगी शासन की आवश्यकता** है। अगले दशक में रणनीतिक हस्तक्षेप भारत के शहरी परदृश्य को एक संधारणीय और समावेशी पारस्थितिकी तंत्र में बदलने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

भारत में शहरी परदृश्य को नयितरति करने वाले नयामक संरचना क्या हैं?

- वधिक संरचना: **74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1992)** नगर पालिकाओं और नगर नगिमों जैसे **शहरी स्थानीय निकायों (ULB)** की भूमिका को परिभाषित करके शहरी शासन के लिये आधार प्रदान करता है।
 - इसमें शहरी नयोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे कार्यों को शहरी स्थानीय निकायों को सौंपने का प्रावधान है।
 - नगर नगिम** शहरी क्षेत्रों के प्राथमिक नयामक हैं जो स्थानीय सेवाओं, अपशषिट प्रबंधन, कराधान और सार्वजनिक सुविधाओं के लिये ज़िम्मेदार हैं।
 - राज्य नगरपालिका अधिनियमों के तहत उन्हें शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।
- शहरी नयोजन और विकास प्राधिकरण:** शहरी नयोजन का कार्य शहरी विकास प्राधिकरणों (जैसे- **दिल्ली विकास प्राधिकरण**) और राज्य नगर नयोजन विभागों द्वारा किया जाता है।
 - ये निकाय भूमि उपयोग, बुनियादी अवसंरचना के विकास और ज़ोनगि कानूनों को वनियमति करने के लिये **मास्टर प्लान** तथा **विकास योजनाएँ तैयार करते हैं**।
 - उदाहरण के लिये, **दिल्ली का मास्टर प्लान, 2041** मशिरति भूमि उपयोग और सतत शहरी विकास पर केंद्रित है।
- पर्यावरण वनियम:** शहरी पर्यावरण शासन नमिनलखिति कानूनों द्वारा नरिदेशित होता है:
 - पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986:** प्रदूषण को नयितरति करता है और उद्योगों व शहरी गतविधियों के लिये पर्यावरण मानक नरिधारित करता है।
 - ठोस अपशषिट प्रबंधन नियम, 2016:** अपशषिट पृथक्करण, निपटान और पुनर्चक्रण के लिये दिशा-नरिदेश नरिदषिट करता है।
 - वायु अधिनियम, 1981 और जल अधिनियम, 1974:** शहरी क्षेत्रों में वायु और जल की गुणवत्ता को वनियमति करना।
- भूमि और आवास वनियमन:** भूमि उपयोग तथा विकास कार्य **राज्य भूमि राजस्व अधिनियम, शहरी भूमि (सीमा और वनियमन) अधिनियम और स्थानीय ज़ोनगि कानूनों** द्वारा शासित होते हैं।
 - रयिल एस्टेट (वनियमन और विकास) अधिनियम (RERA), 2016** ने रयिल एस्टेट लेन-देन में पारदर्शिता और जवाबदेही शुरू की है,

जसिसे परियोजनाओं का समय पर संपादित होना सुनिश्चित हुआ है।

- **शहरी परिवहन वनियमन:** शहरी गतिशीलता को केंद्रीय और राज्य कानूनों जैसे **मोटर यान अधिनियम, 1988** के माध्यम से वनियमित किया जाता है।
 - **राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (NUTP)** जैसी राष्ट्रीय नीतियाँ सार्वजनिक परिवहन और धारणीय गतिशीलता समाधान को बढ़ावा देती हैं।
- **शहरी क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन:** शहरी आपदा तैयारी को **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005** के तहत वनियमित किया जाता है, जिसमें **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)** जैसी एजेंसियाँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

भारत के शहरी परदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **शहरी बुनियादी अवसंरचना की कमी:** भारतीय शहर जर्जर बुनियादी अवसंरचना से ग्रस्त हैं, जो तेज़ी से हो रहे **शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि** के साथ तालमेल बैठाने में असमर्थ हो गए हैं।
 - सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की एक रपिर्ट से पता चलता है कि दिसंबर 2023 तक **431 बुनियादी अवसंरचना विकास परियोजनाओं**, जिनमें से प्रत्येक में 150 करोड़ रुपए या उससे अधिक का निवेश है, की लागत में **4.82 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है**।
 - **अत्यधिक कार्यभार के कारण सड़कें, पुल और परिवहन प्रणालियाँ वफिल हो जाती हैं**, जसिसे व्यवधान, दुर्घटनाएँ तथा मौतें होती हैं।
 - हाल की घटनाएँ जैसे कि **दिल्ली हवाई अड्डे पर छत गरिने की घटना (जुलाई 2024)**, बुनियादी अवसंरचना में अनुकूलन की सख्त ज़रूरत को उजागर करती हैं।
- **वायु प्रदूषण:** भारत के शहरी क्षेत्रों में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, औद्योगिक गतिविधियों, निर्माण जनति धूल और पराली दहन के कारण गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या है।
 - **वशिव के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में से 39 भारत के हैं। दिल्ली** जैसे शहरों में प्रायः AQI का स्तर खतरनाक श्रेणी में दर्ज किया जाता है, जसिसे सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक उत्पादकता पर असर पड़ता है।
 - नवंबर 2024 में, असहनीय प्रदूषण स्तर के कारण दिल्ली के स्कूल कई दिनों तक बंद रहे। **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) जैसी पहल आशाजनक तो हैं, लेकिन उन्हें सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है।**
- **जल की कमी और प्रबंधन के मुद्दे:** भारत के शहरी क्षेत्र अत्यधिक जल दोहन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं।
 - **बंगलूर में वर्ष 2024 और चेन्नई में वर्ष 2019 का जल संकट** आसन्न शहरी जल आपदा की कटु स्मृति है।
 - शहरी उपयोगिताएँ अकुशल हैं, वितरण के दौरान जल की अत्यधिक हानि होती है तथा वर्षा जल संचयन अपर्याप्त होता है।
- **आवास और झुग्गी बस्तियों का प्रसार:** **गाँवों से शहरों की ओर बढ़ते प्रवास** के परिणामस्वरूप आवास की कमी बढ़ गई है, जसिसे अनेक लोग अनौपचारिक बस्तियों या झुग्गी बस्तियों में चले गए हैं।
 - **इन क्षेत्रों में स्वच्छता, स्वच्छ जल और बजिली** जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जसिसे गरीबी तथा बीमारी का कुचक्र जारी है।
 - झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाली एक तिहाई से अधिक आबादी **भारत के 46 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में निवास** करती है। महानगरों के मामले में, मुंबई में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों का अनुपात सर्वाधिक (इसकी आबादी का 41.3%) है।
- **यातायात भीड़ और सार्वजनिक परिवहन की कमी:** नजि वाहन स्वामित्व में वृद्धि और सार्वजनिक परिवहन की अपर्याप्तता के कारण **शहरी यातायात भीड़ बढ़ती जा रही है**।
 - **भारत में बंगलूर और पुणे** वशिव के शीर्ष 10 सबसे खराब यातायात प्रभावित शहरों में शामिल हैं।
 - बंगलूर जैसे शहरों में यात्रा का अधिकतम समय घंटों तक चल सकता है, जसिसे उत्पादकता में कमी आती है और ईंधन की खपत बढ़ जाती है।
- **अपशिष्ट प्रबंधन संकट:** **शहरी अपशिष्ट प्रबंधन** प्रणालियाँ बढ़ते ठोस अपशिष्ट उत्पादन से निपटने के लिये संघर्ष कर रही हैं तथा अनुचित निपटान प्रथाओं के कारण पर्यावरणीय खतरे उत्पन्न हो रहे हैं।
 - **ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (TERI)** की एक रपिर्ट के अनुसार, **भारत में प्रतिवर्ष 62 मिलियन टन से अधिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है।**
 - **कुल उत्पन्न अपशिष्ट में से केवल 43 मीट्रिक टन ही एकत्रित किया जाता है**, जसिमें से **12 मीट्रिक टन अपशिष्ट की निपटान से पूर्व सफाई की जाती है** तथा शेष **31 मीट्रिक टन को कचरागृहों में ही फेंक दिया जाता है।**
 - दिल्ली के गाज़ीपुर जैसे **वशाल लैंडफिल का वसितार जारी है**, जसिसे ज़हरीली गैसें मुक्त हो रही हैं और **जल नकिया प्रदूषित हो रहे हैं।**
- **आर्थिक असमानताएँ और शहरी गरीबी:** शहरी क्षेत्रों में आर्थिक असमानता बढ़ रही है, **जीवन-यापन की लागत बढ़ रही है** और नमिन आय वर्ग के लिये रोज़गार का सृजन अपर्याप्त है।
 - शहरी **अनौपचारिक क्षेत्र**, जसिमें बहुत बड़ा कार्यबल कार्यरत है, में प्रायः सामाजिक सुरक्षा या स्थिर वेतन का अभाव होता है।
 - **वशिषकर खाद्य पदार्थों की कीमतों में मुद्रास्फीति** ने शहरी परिवारों को बुरी तरह प्रभावित किया है, जसिसे उनकी प्रयोज्य आय और व्यय शक्ति कम हो गई है।
 - CMIE के अनुसार, **वर्ष 2024 में शहरी बेरोज़गारी 8.7% होने का अनुमान है।**
- **जलवायु परिवर्तन की सुभेद्यता:** भारत के **85% से अधिक ज़िले बाढ़, अनावृष्टि और चक्रवात** जैसी चरम जलवायु घटनाओं के प्रतारि संवेदनशील हैं।
 - शहरी नियोजन में प्रायः **समुत्थानशील उपायों की अनदेखी** की जाती है, जैसा कि **चेन्नई और मुंबई की बाढ़ में देखा गया**, जो अनियोजित विकास तथा प्राकृतिक जल निकासी प्रणालियों पर अतिक्रमण के कारण और भी बढ़ती जा रही है।
 - बढ़ते तापमान और **नगरीय ऊष्मा द्वीप** के कारण जीवन की स्थिति खराब हो रही है, वशिषकर गरीबों के लिये।
 - भारत में वर्ष **2024 के प्रारंभिक नौ महीनों में 93% दिन चरम मौसम** दर्ज किया गया, जसिके कारण 3,238 मौतें और 3.2 मिलियन हेक्टेयर से अधिक फसलें बर्बाद होने का अनुमान किया गया है।
- **शासन और नीति कार्यान्वयन अंतराल:** भारत में शहरी शासन **खंडित प्राधिकरण, अतवियापी अधिकार क्षेत्र और एजेंसियों के बीच**

अपर्याप्त समन्वय से ग्रस्त है।

- नगर निकायों में प्रायः वित्तीय स्वायत्तता का अभाव होता है, जिससे महत्त्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है।
- **स्मार्ट सिटी मिशन** जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के बावजूद नौकरशाही वलिंब और सीमिति क्षमता के कारण प्रगति धीमी रही है।
- इसके अलावा, शहरी भारत देश के आर्थिक उत्पादन का लगभग 60% संचालित करता है, फरि भी नगर नगिम वित्तीय रूप से संघर्ष करते हैं, संपत्ति कर राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.12% है।
- **शहरी वसितार और हरति आवरण का ह्रास:** अनयिमति शहरी वसितार के कारण वनों, आर्द्रभूमि और कृषि भूमि पर अतिक्रमण हुआ है, जिससे हरति आवरण एवं जैवविविधता में कमी आई है।
 - यह अनयित्तरति वृद्धि कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाती है तथा नगरीय ऊष्मा द्वीप बनाती है, जिससे जलवायु प्रभाव और भी बदतर हो जाता है।
 - उदाहरण के लयि, वर्ष 1973 के बाद से बंगलूरू का शहरीकृत क्षेत्र 1055% तक बढ़ गया है, जिसके परिणामस्वरूप सप्तति में 88% की कमी आई है।
- **शहरी अपराध और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** चोरी, साइबर अपराध और लैंगिक हिंसा सहति शहरी अपराध दर में वृद्धि से शहर के नविसयियों की सुरक्षा को खतरा है।
 - पर्याप्त पुलिस व्यवस्था का अभाव, नमिन स्तरीय शहरी व्यवस्था और कमजोर कानूनी प्रवर्तन इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं।
 - NCRB की वर्ष 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश भर के 19 प्रमुख शहरों में महिलाओं के साथ हुए अपराधों (48755 दर्ज) में से 29.04% दलिली में हुए।
- **सांस्कृतिक क्षरण और शहरी पहचान का नुकसान:** तीव्र शहरीकरण के कारण प्रायः सांस्कृतिक वरिसत, पारंपरिक वास्तुकला और स्थानीय पहचान का ह्रास होता है।
 - जेंट्रीफिकेशन से स्वदेशी समुदाय वसिथापति हो जाते हैं, जबकि सामान्य शहरी डिजाइन स्थानीय लोकाचार को प्रतबिबिति करने में वफिल हो जाते हैं।
 - वाराणसी और जयपुर जैसे शहरों को आधुनिकीकरण तथा वरिसत संरक्षण के बीच संतुलन बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
 - उदाहरण के लयि, राजस्थान की कालबेलिया और घूमर जैसी लोक कलाएँ धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही हैं, क्योंकि इन्हें करने वाले लोग शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं।

शहरी विकास से संबंधित प्रमुख सरकारी पहल क्या हैं?

- [स्मार्ट शहर](#)
- [अमृत मिशन](#)
- [स्वच्छ भारत मिशन-शहरी](#)
- [प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी](#)
- [आकांक्षी जिला कार्यक्रम](#)
- [दीन दयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन \(DAY-NULM\)](#)

भारत के शहरी परदृश्य को बेहतर बनाने के लयि क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- **शहरी शासन और वकिंद्रीकरण को मज़बूत करना:** शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को शहरी विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रयिान्वति करने के लयि वित्तीय स्वायत्तता और क्षमता निर्माण के माध्यम से सशक्त बनाया जाना चाहयि।
 - शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के लयि 74वें संवधान संशोधन को पूरगत: लागू करने की आवश्यकता है।
 - 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत नगर निकायों के लयि हाल ही में कयिा गया वित्तपोषण उत्प्रेरक का काम कर सकता है।
- **शहरी बुनयिादी अवसंरचना का आधुनिकीकरण:** सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चिा करने के लयि व्यापक बुनयिादी अवसंरचना का ऑडिट और उन्नयन आवश्यक है।
 - सार्वजनिक-नजिा भागीदारी (PPP) प्रविहन, उपयोगतिाओं और आवास के लयि नविश आकर्षति कर सकती है। उदाहरण के लयि, दलिली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (DMIC) शहरी विकास में सफल PPP मॉडल को दर्शाता है।
 - स्वचालति यातायात प्रबंधन प्रणालियों जैसे स्मार्ट सिटी बुनयिादी अवसंरचना पर बल देने से शहरी परिचालन को अनुकूलति कयिा जा सकता है।
 - सत्र 2023-24 के बजट के अंतर्गत शहरी अवसंरचना विकास नधि(UIDF) शहर-स्तरीय सुधारों के वित्तपोषण के लयि एक समरपति तंत्र प्रदान करता है।
- **कफियति आवास और झुगगी बसति पुनरवास को बढ़ावा देना:** नजिा क्षेत्र के सहयोग से प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) जैसी कफियति आवास योजनाओं का वसितार करके आवास की कमी को पूरा कयिा जा सकता है।
 - समावेशी ज़ोनिग नीतयिाँ और डेवलपरस के लयि कफियति इकाइयों के निर्माण हेतु प्रोत्साहन महत्त्वपूर्ण हैं।
 - झुगगी पुनरवास कार्यक्रमों को मुंबई की धारावी परयिाोजना की तरह यथास्थान पुनरविकास मॉडल अपनाना चाहयि ताकि न्यूनतम वसिथापन सुनिश्चिा हो सके।
- **संधारणीय शहरी गतशीलता में नविश:** शहरों को नजिा वाहनों पर निर्भरता कम करने के लयि मेट्रो प्रणाली, उपनगरीय रेल नेटवर्क और सार्वजनिक बस सेवाओं का वसितार करना होगा।
 - इलेक्ट्रिक वाहनों और साइकलि-शेयरगिा कार्यक्रमों के साथ लास्ट-माईल कनेक्टविटिा को एकीकृत करने से अभगिम में वृद्धि हो सकती है।
 - बंगलूरू का नया मेट्रो वसितार और दलिली का इलेक्ट्रिक बस फ्लीट प्रभावशाली परिवर्तन की क्षमता को प्रदर्शति करते हैं।

- स्मार्ट यातायात प्रबंधन प्रणालियों के साथ संयोजन में कंजेशन शुल्क से यातायात की बाधाओं को कम किया जा सकता है।
- **ठोस और ई-अपशष्टि प्रबंधन को आगे बढ़ाना:** पुनर्र्चकरण वलिब में सुधार लाने और लैंडफलि पर नरिभरता को कम करने के लयि वारड स्तर पर वकिंदरीकृत अपशष्टि पृथककरण प्रणालियों को लागू कयिा जाना चाहयि।
 - उन्नत प्रौद्योगकियिँ जैसे अपशष्टि से ऊर्रजा बनाने वाले संयंत्र और पुनर्र्प्राप्त सुवधिाएँ बढ़ते अपशष्टि की मात्रा का प्रबंधन कर सकती हैं।
 - ई-अपशष्टि के उत्पादन को रोकने के लयि वसितारति उत्पादक उत्तरदायतिव (EPR) कानूनोँ को लागू कयिा जाना चाहयि ताकयिह सुनश्चिति कयिा जा सके ककिंपनयिँ जर्रजर/अनुपयोगी हो चुके इलेक्ट्रॉनकिस को वापस ले लें।
 - वकिंदरीकृत कम्पोस्ट नरिमाण में बँगलुरु की सफलता एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में कार्य करती है।
- **जलवायु-अनुकूल शहरी नयिोजन:** शहरी नयिोजन में बाढ़, हीट वेव्स और बढ़ते समुद्री स्तर के जोखमिँ को कम करने के लयि जलवायु अनुकूलन रणनीतियिँ को एकीकृत करना होगा।
 - प्राकृतिक जल नकिसी प्रणालियिँ और आर्र्द्रभूमि का पुनर्र्भरण करने से (जैसा ककि चेन्नई की पुनर्र्स्थापना परयिोजनाओँ में देखा गया है) शहरी बाढ़ को कम कयिा जा सकता है।
 - हरति छतें, वर्र्टीकल गार्डन्स और शहरी वन नगरीय ऊष्मा द्वीपोँ से नपिटने में सहायक सदिध हो सकते हैं साथ हीवायु गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। रूफटॉप सोलर इनस्टॉलेशन जैसे नवीकरणीय ऊर्रजा अंगीकरण को प्रोत्साहति कयिा जाना चाहयि।
- **शहरी जल सुरकषा सुनश्चिति करना:** शहरों को वर्षा जल संचयन, अपशष्टि जल पुनर्र्चकरण और जलभृत पुनर्र्भरण पर ध्यान केंद्रति करने वाली वयापक जल प्रबंधन नीतियिँ की आवश्यकता है।
 - चेन्नई का वर्षा जल संचयन अभयिान प्रभावी सदिध हुआ है और इसे देश भर में लागू कयिा जा सकता है।
 - स्मार्ट जल मीटर और IoT-आधारति नगिरानी प्रणालियिँ अपव्यय को रोक सकती हैं तथा दकषता बढ़ा सकती हैं।
 - वकिंदरीकृत अपशष्टि जल उपचार संयंत्रों (DEWATS) को बढ़ावा देने से प्रभावी पुनःउपयोग सुनश्चिति हो सकता है।
- **डजिटिल समावेशन को बढ़ावा देना:** शहरी झुग्गी बस्तियिँ में BharatNet जैसी पहलों के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टविटि का वसितार करके डजिटिल डविाइड को कम कयिा जा सकता है।
 - नमिन आय वर्ग को लकषति करने वाले डजिटिल साकषरता कार्यक्रम ई-गवर्नेंस, टेलीमेडिसिनि और ऑनलाइन शकषिा तक अभगिम को बढ़ा सकते हैं।
 - शहरी परचालन को सुचारु बनाने के लयि शहरों को एकीकृत कमांड सेंटर जैसे स्मार्ट सटि सॉल्यूशन अपनाने होंगे।
- **सांस्कृतिक और धरोहर संपदाओँ का पुनरोद्धार:** शहरी वकिस में ऐतिहासकि और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण को प्राथमकितता दी जानी चाहयि।
 - धरोहर संरचनाओँ का अनुकूली पुनःउपयोग, जैसा ककि राजस्थान के पैलेस होटलों में देखा गया है, संरक्षण और आर्र्थकि उपयोगति के बीच संतुलन स्थापति कर सकता है।
 - शहरी नयिोजन में पारंपरकि वास्तुकला और सांस्कृतिक तत्त्वों के एकीकरण को अनविर्य बनाया जाना चाहयि। सांस्कृतिक वरिसत प्रबंधन के लयि यूनेस्को के दशिा-नरिदेश कार्यानवयन योग्य रूपरेखा प्रदान कर सकते हैं।
- **सहभागी शहरी नयिोजन को प्रोत्साहति करना:** शहरी शासन में नागरकि भागीदारी से पारदर्शति और जवाबदेही में सुधार हो सकता है।
 - शकियात नविरण के लयि MyGov जैसे डजिटिल प्लेटफॉर्म को शहरी-वशिष्टि मुद्दों के लयि वकिसति कयिा जाना चाहयि।
 - सहभागी बजट नविसयिँ को स्थानीय वकिस संबंधी प्राथमकितताओँ पर नरिणय लेने की अनुमतदिता है। पुणे जैसे शहरों के केस स्टडीज़ से पता चलता है ककि कसि प्रकार नागरकि भागीदारी शहरी नयिोजन परणामों को बेहतर बनाती है।
- **रूफटॉप सोलर इनस्टॉलेशन और पवन ऊर्रजा परयिोजनाओँ का वसितार करके** ऊर्रजा स्रोतों में वृद्धि की जा सकती है।
 - ऊर्रजा भंडारण प्रणालियिँ वाले स्मार्ट ग्रडि दकषता बढ़ा सकते हैं और बजिली कटौती को कम कर सकते हैं। ऊर्रजा कुशल इमारतों के लयि प्रोत्साहन, जैसे कर छूट, संधारणीय नरिमाण प्रथाओँ को प्रोत्साहति कर सकते हैं।
 - शहरों में नवीकरणीय ऊर्रजा (कोचीन जैसे शहर, जो भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्रजा आधारति हवाई अड्डा संचालति करते हैं) को मुख्यधारा में लाना: शहरी केंद्रों को बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्रजा की ओर संक्रमण करना चाहयि।
- **शहरी आपदा तैयारी को सुदृढ़ करना:** शहरों को बाढ़, भूकंप और औद्योगकि दुर्घटनाओँ जैसे शहर-वशिष्टि जोखमिँ से नपिटने के लयि सुदृढ़ समर्र्पति आपदा प्रतिकरियिा इकायिँ स्थापति करनी चाहयि।
 - प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियिँ IoT सेंसरों से प्राप्त रयिल टाइम डेटा के साथ मलिकर आपदा के प्रभावों को कम कर सकती हैं।
 - मुंबई की बाढ़ प्रतिकरियिा से प्राप्त सीख शहरी आपदा तैयारी रणनीतियिँ का मार्गदर्शन कर सकते हैं।

???????? ???? ???? ???? ???? :

प्रश्न. शहरी नयिोजन, शासन और सतत् वकिस पर ध्यान केंद्रति करते हुए भारत के शहरी परदृश्य को वनियिमति करने में चुनौतियिँ एवं अवसरों का आलोचनात्मक वशिलेषण कीजयि। समावेशी और अनुकूल शहरी वकिस को बढ़ावा देने के लयि इन मुद्दों को कसि प्रकार हल कयिा जा सकता है?

UPSC सविलि सेवा परीकषा, वगित वर्षों के प्रश्न

???????????????? :

प्रश्न. भारत में ठोस अपशष्टि प्रबंधन नयिम, 2016 के अनुसार, नमिनलखिति में से कौन-सा एक कथन सही है? (2019)

- अपशष्टि उत्पादक को पाँच कोटियिँ में अपशष्टि अलग-अलग करने होंगे।
- ये नयिम केवल अधसूचिति नगरीय स्थानीय नकियाँ, अधसूचिति नगरों तथा सभी औद्योगकि नगरों पर ही लागू होंगे।
- इन नयिमों में अपशष्टि भराव स्थलों तथा अपशष्टि प्रसंसकरण सुवधिाओँ के लयि सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपबंधति हैं।
- अपशष्टि उत्पादक के लयि यह आज्ञापक होगा ककि कसि एक ज़िले में उत्पादति अपशष्टि, कसि अन्य ज़िले में न ले जाया जाए।

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न1. कई वर्षों से उच्च तीव्रता की वर्षा के कारण शहरों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारणों पर चर्चा करते हुए इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम कम करने की तैयारियों की क्रियाविधि पर प्रकाश डालिये। (2016)

प्रश्न2. क्या कमज़ोर और पछिड़े समुदायों के लिये आवश्यक सामाजिक संसाधनों को सुरक्षित करने के द्वारा, उनकी उन्नति के लिये सरकारी योजनाएँ, शहरी अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसायों की स्थापना करने में उनको बहिष्कृत कर देती हैं? (2014)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/revitalizing-india-s-urban-landscape>

